



बिना शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | PATNA
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र



अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक
CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL
GOVINDPUR SILHAURI

विषय :- बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education - RTE), 2009 की धारा 18 के प्रत्येक नमूने बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अंतर्गत विद्यालय की प्रत्येक कक्षा का प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन पर दिनांक 30-12-2021 और उसके क्रम में आपने किसे गये प्रभाव पर विद्यालय के विषय गैर निरीक्षण एवं बिना स्वीकृत विद्यार्थीय समिति के बैठक दिनांक 02-07-2022 में बिसे गैर निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL, GOVINDPUR SILHAURI, NAUBATPUR, 801109 को कक्षा 1 से 8 तक संवाहन हेतु की गई थी 02-07-2022 से 2-7-2025 अवधि के लिए आवश्यक प्रत्येक कक्षा की जांच की गई है।

प्रत्येक प्रत्येक कक्षा में अनुपातन के अंतर्गत है।

1. प्रत्येक कक्षा की भी प्रत्येक कक्षा में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।

2. विद्यालय बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपातन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।

3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल संख्या का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने परीक्षा के कमजोर वर्ग एवं अनापत्तारी सशुद्ध के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुक्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उत्तरी पूर्वांचल तक प्रदान करेगा, परंतु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संवाहन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपातन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

4. केंद्रिका 3 में उल्लेख बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निष्पादित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संवाहन करेगा।

5. सॉफ्टवेयर, विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का केमिस्ट्री प्रयोग नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्वीकृति देकर नहीं किया जाएगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उस प्रमाण पत्र के अनुसंधान नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इससे कि किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे:-

(i) किसी भी नामांकन बच्चे को किसी भी कक्षा में भेजकर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निकाला गया जाएगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के अलावा बच्चों का समन्वयन किया जाएगा।

(vi) बच्चों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित स्तर तक पोषण के अनुरूप किया जाएगा।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्धारण करेगा।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपत्रों का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के अलावा में उपलब्ध सुविधाओं के अनुसंधान रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उल्लेख मानकों एवं मानदंडों को सरकार रखेगा। विद्यालय के अधिनियम के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नलिखित:

(i) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 97.16 डिसेमिटर

(ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 97.16 डिसेमिटर

(iii) खेल के मैदान का क्षेत्र :- Indoor games out door games, laboratory, library, math lab smart class computer lab etc

(iv) बर्ग कक्षों की कुल संख्या :- 35

(v) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-निर्देशक कक्ष :- 2

(vi) बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग भोजनस्थल :- Both Indian and Western, Boys :- 28, Girls 18

(vii) खेलकूद की सुविधा :- 30

(viii) भोजन के लिए रसोई घर :- 1

(ix) बाधारहित पहुँच :-

(x) शिक्षण अधिष्ठान सामग्री/ खेलकूद उपकरण/ पुस्तकालय :- list attached, list attached, (Y, 999, Newspaper Magazine:- 16)

11. कोई भी अपरसीकृत बर्तन विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय अपने अलग अलग संस्करणों अथवा भेदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा शैक्षणिक विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सॉफ्टवेयर अधिनियम, 1980 (1980 का 21) के अन्तर्गत निर्धारित सॉफ्टवेयर के द्वारा अथवा किसी भी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गतिविधि पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, सशुद्ध अथवा व्यक्तियों के संग अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के साथ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. सेवा का अंशदान एवं उसका प्रमाणिकता चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा किया जाएगा और निष्पादित नियमों के अलावा में उपर्युक्त सेवा विवरणों के तहत की जाएगी। प्रत्येक सेवा विवरण की एक प्रति प्रतिवर्ष बिना अतीत को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवेदन प्रत्येक कक्षा कोड संख्या [230140420211230145830, 2021] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का प्रभाव करने में इस कोड को अधिकृत एवं उल्लेख किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / बिना शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर निरीक्षण एवं सुनवाई, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रत्येक कक्षा की जांच के सागानर रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संवाहन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निरीक्षण अथवा अनुपातन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सॉफ्टवेयर के निदेशन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुसंधान III के रूप में संलग्न अन्य बर्तन

Handwritten signature and date 25/7/2022



बिना शिक्षा पदाधिकारी, PATNA
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

Pulam Kumar Gupta

Cambridge Public School
GOVINDPUR SILHAURI,
NAUBATPUR, PATNA-801109